



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239732  
CG-DL-E-18102022-239732

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4706]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 2022/आश्विन 26, 1944

No. 4706]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2022/ASVINA 26, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4918(अ).—लोक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की रैंक के बराबर के अधिकारी हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट लोक परिसर के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत संपदा अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे:-

| तालिका                                                         |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधिकारी का पदनाम                                               | लोक परिसरों की श्रेणियाँ और अधिकार क्षेत्र स्थानीय सीमाएं                                             |
| (1)                                                            | (2)                                                                                                   |
| रजिस्ट्रार, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली | भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली से संबंधित और इसके प्रशासनिक नियंत्राधीन सभी परिसर |

[फा. सं. 36-09/2022-टीएस.VII]

राकेश रंजन, अपर सचिव

**MINISTRY OF EDUCATION**  
**(Department of Higher Education)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2022

**S.O. 4918(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971(40 of 1971) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Government to be the Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table:-

| <b>TABLE</b>                                                                 |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designation of Officer                                                       | Categories of public premises and local limits of jurisdiction                                                                        |
| <b>(1)</b>                                                                   | <b>(2)</b>                                                                                                                            |
| Registrar,<br>Indian Institute of Science Education and Research,<br>Mohali. | All the premises belonging to and under the administrative control of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali. |

[F. No. 36-09/2022-TS.VII]

RAKESH RANJAN, Addl. Secy.